Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

लाधुराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी 7 जीडी तहसील घडसाना

बनाम

हरिया पुत्र भगतराम जाति चौधरी साकिन कथेड तहसील देहरा (हि०प्र०) हाल चक 10 जीडी 'बी' तहसील घडसाना आदि

किस्म मुकदमा:–शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

प्रकरण सं.–77/2009

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.03.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री सुरेन्द्र सुथार, वकील अप्रार्थी संख्या 01 श्री भगवानदत्त शर्मा एवं अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से पैरोकार राज हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 को बतौर पौंग बांध विस्थापित तहसील छतरगढ़ के चक 22 जीडी के मुरब्बा न. 125/24 की 25.00 बीघा भूमि आवंटन हुई। आवंटन के उक्त तथ्य को छुपाते हुए तहसील घडसाना के चक 10 जीडी 'बी' के मुरब्बा न. 225/23 की किला न. 1 ता 25 की भूमि 5.693 है0 आवंटन करवा ली। इस रकबा पर प्रार्थी काबिज है व हितबद्व है इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 का आवंटन निरस्त किया जावे।	

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराया व जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि अप्रार्थी हरिया को बतौर पौग बांध विस्थापित मिसल संख्या 1876/73 द्वारा वर्ष 1973 में चक 22 जीडी मुरब्बा न. 125/24 में 25.00 बीघा आवंटन हुआ था। परन्तु आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन रा.न.यो. घडसाना मु. अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 23.05.1973 को खारिज उक्त आवंटन खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 31.03.1984 को निरस्ती आदेश दिनांक 23.05.1973 पर पुर्नविचार करते हुए पौंग बांध विस्थापित आवंटन नियम 1972 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 को वैकल्पिक आवंटन हेतु सक्षम किया गया। तत्पश्चात अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (पुर्नवास) बीकानेर द्वारा समस्त तथ्यों के अवलोकन उपरांत अप्रार्थी संख्या 01 हरिया को दिनांक 27.05.1985 को चक 10 जीडी 'बी' के मुरब्बा न. 225/23 के 25.00 बीघा का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन के समय अप्रार्थीया हरिया द्वारा समस्त तथ्य सही–सही सक्षम अधिकारी के समक्ष अंकित करवा दिये, जो पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त आवंटन पूर्णतः विधिक प्रकिया अपना कर व पूर्ण जांच कर ही हुआ है। उक्त रकबा पर अप्रार्थी संख्या 01 का ही कब्जा काश्त है जो पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना की रिपोर्ट कमांक भू.अ./11/1355 दिनांक 07.06.2011 से स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पक्ष में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार राज ने अपनी बहस में रिपोर्ट दिनांक 07.06.2011 में अंकित तथ्यों को दौहराया। परन्तु पैरोकार राज ने प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 को दो बार आवंटन होने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की तथा ना ही कोई तथ्य पेश किये।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि जैर प्रार्थना पत्र रकबा पर उसका कब्जा हैं परन्तु उसका कब्जा होने संबंधी किसी तरह का साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ) घडसाना दिनांक 07.06.20[illegible] अप्रार्थी संख्या 01 हरिया का ही कब्जा काश्त हैं। पत्रावली मे उपल[illegible] यह स्पष्ट है कि दिनांक 09.05.1973 सक्षम अधिका[illegible] (हिमाचल प्रदेश) द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 ह[illegible] जारी किये गये [illegible] पत्र के आधार पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.04.04 11:51:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 01 को बतौर पौग बांध विस्थापित मिसल संख्या 1876/73 द्वारा वर्ष 1973 में चक 22 जीडी मुरब्बा न. 125/24 में 25.00 बीघा आवंटन हुआ था। परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन रा.न.यो. घडसाना मु. अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 23.05.1973 को खारिज उक्त आवंटन खारिज कर दिया गया। हरिया द्वारा उक्त रकबा बहाल हेतु आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन रा.न.यो. घडसाना मु. अनूपगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। परन्तु उक्त रकबा अन्य व्यक्ति को आवंटित होने पर आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन रा.न.यो. घडसाना मु. अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 31.03.1984 को निर्णय पारित करते हुए पत्रावली अतिरिक्त उपनिवेशन पुर्नवास बीकानेर को प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 01 हरिया को 25.00 बीघा कमाण्ड भूमि अन्यत्र आवंटन करने की अनुशंषा की। इस आदेश के अनुरूप ही अतिरिक्त आयुक्त पुर्नवास बीकानेर द्वारा दिनांक 27.07.1985 को अप्रार्थी संख्या 01 हरिया को चक 10 जीडी 'बी' के मुर. का 23 बीघा कमाण्ड 2 बीघा अनकमाण्ड का आवंटन किया गया ।

जैर प्रार्थना भूमि यथा तहसील घडसाना के चक 10 जीडी 'बी' के मुरब्बा न. 225/23 की किला न. 1 ता 25 की भूमि 5.693 है0 अप्रार्थी संख्या 01 को वैकल्पिक आवंटन हुई है। अप्रार्थी हरिया को हुआ जैर प्रार्थना पत्र आवंटन वर्ष 1985 का है जिस पर कब्जा भी हरिया का साबित है। इतने लम्बे समय बाद निराधार रूप से आवंटन निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है। विशेष कर उस स्थिति में जब उपलबध दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्राथमिक रूप से भी सिद्व नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थी संख्या 01 को परेशान करने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है, जो ABUSE OF PROCESS OF LAW की श्रेणी में आता है। पत्रावली में तथ्यों का छुपाना प्रकट नहीं होता है। जो कि उपनिपवेशन अधिनियम की धारा 11 में विचारण करने हेतु आवश्यक तत्व है। अप्रार्थी संख्या 01 को किया गया आवंटन नियमानुसार ही किया गया साबित होता है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 को दो बार आवंटन होना साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार घडसाना को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.04.04 11:51:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner